प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 816 सन 2021
अनवान :–

1. रामकिशन पि0मु0 पारी देवी जाति ब्रहाम्ण निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
वादी

बनाम

1. पारादेवी पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री माडुराम सहारण अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 28.11.2021

राक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जोरावरपुरा के खाता संख्या 15/52 की कुल 2.8080हैव एवं रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 145/138 की कुल 13.0640हैव एवं रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 433/432 की कुल 8.8650हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

प्रतिवादीया संख्या 1 ने वादी का 3 साल की उम्र में माता/पिता की सहमति से खोले ले लिया था जिसका पालन पोषण व शिक्षा खोलायत माता दिलाती रही है और खोलायत माता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ही निवास करता आ रहा है वादी का खालोनामा उपपंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध है।

वादी के खोलायत पिता मोहनलाल का देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो उसकी माता है के नाम से दर्ज भूमि मोहनलाल के देहान्त होने के बाद विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का अपनी माता के साथ बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में खोलायत पुत्र की हैसीयत से बराबर का हक हिस्सा है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पति मोहनलाल के देहान्त होने पर विरासतन से दर्ज हुई है तथा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 एव उसके पति मोहनलाल ने वादी की तीन साल की उम्र में ही खोले ले लिया था तथा वादी का पालना पोषण प्रतिवादी संख्या 1 एव उसके पति मोहनलाल के द्वारा ही किया गया था तथा वर्तमान में भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ निवास करता है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी खोलायत पुत्र की हैसियत से बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के

Scanned with CamScanner

सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोरावरपुरा के खाता संख्या 15/52 की कुल 2.8080हक्ट एवं रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 145/138 की कुल 13.0640हैक्ट एवं रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 433/432 की कुल 8.8650हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसकी खोलायत माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह वादी के खोलायत पिता मोहनलाल के देहान्त होने के बाद प्राप्त हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वाद भूमि जो उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी को उसकी तीन वर्ष की उम्र में खोले लिया हुआ है जो प्रतिवादी संख्या 1 का खोलायत पुत्र हे इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोरावरपुरा के खाता संख्या 15/52 की कुल 2.8080हक्ट एवं रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 145/138 की कुल 13.0640हैक्ट एवं रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 433/432 की कुल 8.8650हैक्ट तीनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/6 –1/6 हिस्साा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... भोगराना

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामकिशन पि0पु0 पारी देवी जाति ब्रहाम्ण निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 परादेवी पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 816 सन 2021 निर्णय दिनांक– 28.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोरावरपुरा के खाता संख्या 15/52 की कुल 2.8080हक एवं रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 145/138 की कुल 13.0640हैक एवं रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 433/432 की कुल 8.8650हैक तीनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/6 –1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक28.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....भोगराना

Scanned with CamScanner